"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी 2026 — माघ 21, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/14292/2025-HEALTH SECTION-2. - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 (1940 का सं. 23) की धारा–32 बी की उपधारा (1) सपठित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025 के नियम 3 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025 के प्रयोजन के लिए शमन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2026

क्रमांक ESTB/14292/2025-HEALTH SECTION-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th February 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/14292/2025-HEALTH SECTION-2. - In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 B of the Drugs and Cosmetics Act 1940 (No. 23 of 1940) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Drug and Cosmetics (Compounding of Offences) Rules, 2025, the State Government, hereby appoints Controller, Food and Drugs Administration as Compounding Authority for the purpose of the Drugs and Cosmetics (Compounding of Offences) Rules, 2025.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.